INVEST UP

POWERING NEW INDIA

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

Information and Public Relations Department, U.P.

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन नीति 2017

प्रमुख बिन्दु

रीजनल कानेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) हवाई अड्डों/मार्गों के लिए प्रोत्साहन तथा रियायतें

1	एएफटी पर वैट	10 वर्ष के लिए शून्य	9	बस सर्विस	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ.प्र. राज्य परिवहन निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा
2	वायबिलिटी गैप फंडिंग (कुल सीट के 50% के लिए)	आरसीएस के अनुसार 20% राज्य का अंश	10	एम्बुलेंस एवं चिकित्सा सुविधा	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा
3	आरसीएस हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था	उ.प्र. सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा	11	नॉन-वीजीएफ की अन्डर राइटिंग 50% सीट @ ₹2500/अलिखित सीट	100% - श्रेणी 1 विमान लखनऊ को मंडल मुख्यालय से जोड़ता है। (3 वर्ष के लिए) 30% - विमान की अन्य श्रेणियों के लिए या अन्य मार्गों पर (3 वर्ष के लिए)
4	अग्निशमन सेवाएं	उ.प्र. सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा	12	आरसीएस उड़ानों पर हवाई टिकटों की बिक्री पर एस-जीएसटी की प्रतिपूर्ति	3 वर्ष के लिए 100% प्रतिपूर्ति
5	विद्युत	उ.प्र. सरकार द्वारा रियायती दर (₹4/यूनिट से 30,000 यूनिट तक) पर उपलब्ध कराया जाता है	13	आरसीएस हवाईअड्डों पर एयरपोर्ट पार्किंग/रात का पड़ाव	उ.प्र. सरकार के हवाई अड्डों पर शून्य शुल्क (3 वर्ष के लिए)।
6	जल	उ.प्र. सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा	14	उ.प्र. सरकार आरसीएस हवाई अड्डों पर एयरलाइनों के लिए कार्यालय स्थान (100 वर्गमीटर)।	उत्तर प्रदेश सरकार के हवाई अड्डों पर शून्य किराया (3 वर्ष के लिए)।
7	आरसीएस हवाई अड्डे पर एटीएफ ईंधन भरने की सुविधा	उ.प्र. सरकार तेल कंपनियों को जीरो रेंटल पर भूमि उपलब्ध कराएगी	15	रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क (आरएनएफसी)	आरएनएफसी का 50% (₹2000 तक) आरसीएस हवाई अड्डों या मंडल मुख्यालय को जोड़ने वाली उड़ानों पर (3 वर्ष के लिए) प्रतिपूर्ति की जाएगी।
8	सड़क संपर्क	आरसीएस हवाई अड्डों के लिए उ.प्र. सरकार द्वारा लोक निर्माण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा			

नॉन-आरसीएस हवाई अड्डों/मार्गों के लिए प्रोत्साहन एवं रियायतें

उत्तर प्रदेश में गैर-आरसीएस हवाईअड्डों को गैर-आरसीएस से जोड़ने का प्रविधान			उ.प्र. के अन्दर हवाई अड्डों को जोड़ने का प्रविधान		
1	एएफटी पर वैट	01 वर्ष के लिए शून्य	1	एएफटी पर वैट	01 वर्ष के लिए शून्य
			2	एस-जीएसटी के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति	01 वर्ष के लिए नई उड़ानों पर हवाई टिकटों की बिक्री हेतु
2	एस-जीएसटी के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति	01 वर्ष के लिए नई उड़ानों पर हवाई टिकटों की बिक्री हेतु	3	प्रति सीट मुआवजा	कुल सीटों के 50% पर ₹400/सीट
			4	सीट हामीदारी	@ ₹2500/खाली सीट (कुल सीटों के 15% पर, अधिकतम 360 सीटें प्रति माह प्रति एक तरफ की यात्रा)
नोट: 01.04.2017 के बाद उत्तर प्रदेश में स्थित गैर-आरसीएस हवाईअड्डे को उत्तर प्रदेश से बाहर गैर-आरसीएस हवाईअड्डे से जोड़ने वाली सभी नई उड़ानें (जहां मूल स्थान तथा गंतव्य सीधी उड़ान के माध्यम से नहीं जुड़ी थीं) उपरोक्त प्रोत्साहन/रियायतों के लिए पात्र होंगी।			नोट: 01.04.2017 के बाद उत्तर प्रदेश के किसी भी हवाईअड्डे को उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी अन्य हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सभी नई उड़ानें (जहां मूल स्थान एवं गंतव्य सीधी उड़ान के माध्यम से नहीं जुड़ी थीं) उपरोक्त प्रोत्साहन/रियायतों के लिए पात्र होंगी।		

नोडल एजेंसी: नागरिक उड्डयन निदेशालय